झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1258 वर्ष 2017

विजय कुमार तिवारी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

3. उपायुक्त, गढ़वा

4. जिला भूमि संरक्षक अधिकारी, गढ़वा

5. अनुमण्डलीय पदाधिकारी, गढ़वा

6. अंचलाधिकारी, गढ़वा

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री बीरेंद्र कुमार

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री ऋषिकेश गिरी, जी0पी0–II के जे0सी0

02/06.03.2017 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि रजिस्टर–2, अनुलग्नक–1 के अनुसार गढ़वा जिले के रांका अनुमण्डल के मौजा होन्हे खुर्द में खाता संख्या 26, प्लॉट संख्या 152, एरिया 3.76 एकड़ और प्लॉट संख्या 154, एरिया 10.96 एकड़ के संबंध में उनके दादा बिहारी तिवारी का नाम रैयत के रूप में दर्ज किया गया है। उनके दादा के नाम से किराये की रसीदें जारी

की गई हैं और अंचल कार्यालय, रंका में काफी लंबे समय से जमाबंदी किया जा रहा है। बंदोवस्त अधिकारी, पलामू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 (2) के संदर्भ में अनुलग्नक–2 द्वारा उनके दादा के नाम रैयत के रूप में भी उल्लेख किया है। हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने मौजा होन्हे खुर्द रैयती भूमि प्लॉट सं0 152 एवं प्लॉट सं0 154, क्षेत्रफल 1.00 एकड़ में तालाब खोदने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी, 2017 के माध्यम से गढ़वा के उपायुक्त से संपर्क किया है। इसके बाद उन्होनें उचित राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि यह पिछले सप्ताह ही दाखिल किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जिले के प्रत्यर्थी अधिकारियों के समक्ष अपने मामले को रखने का निर्देश दिया जा सकता है, जिन पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

4. अभिवचन किए गए प्रासंगिक तात्विक तथ्यों और पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, इस स्तर पर, इस न्यायालय की राय है कि याची के दावे के गुणागुण में प्रवेश करने से पहले, यह उचित होगा कि प्रत्यर्थी सं0 3, उपायुक्त, गढ़वा, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका की प्रति सहित, आवश्यक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित अभ्यावेदन पर याची की शिकायत पर कानून के अनुसार विचार करता है।

5. तद्नुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)